FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana　　**P.S. (थाना):** ACB, Gurugram　　**Year (वर्ष):** 2026

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0035　　**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/08/2026 20:13 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	147
3	IPC 1860	218
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** Intervening Days　　**Date from (दिनांक से):** 12/07/1994　　**Date To (दिनांक तक):** 14/06/2024

   Time Period (समय अवधि):　　**Time From (समय से):** 00:00 hrs　　**Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**　　**Date (दिनांक):** 26/08/2026　　**Time (समय):** 19:40 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**　　**Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 023　　**Date and Time (दिनांक और समय):** 26/08/2026 19:52 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 6 Km(s)　　**Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अर्जुन राठी

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 30/06/1982 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	रा०स० एंव भ्र०नि०ब्यूरो GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	रा०स० एंव भ्र०नि०ब्यूरो GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9991112000

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुभाष रानी उर्फ सुशीला		Husband's Name: जगदीश गुप्ता	1. सिविल लाईन गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	श्री डी० सुरेश IAS			1. तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP,Panchkula,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	श्री गिरीश कुमार IAS			1. तत्कालीन प्रशासकHSVP Panchkula,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
4	अनिल कुमार अग्रवाल			1. तत्कालीन DA HSVP Panchkula,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर,थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे। श्रीमान जी, निवेदन है कि एक शिकायत शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मातादीन, गावँ कन्हई तहसील व जिला गुरुग्राम ने मुताबिक शिकायत नम्बर 262 दिनांक 14-06-2024 के अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम को दी जिसका मजबुन जैल है" श्रीमान एस०पी० साहब विजिलैन्स ब्यूरो सैक्टर 47 गुरूग्राम श्रीमान जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में Departmental Litigation Committee (DLC) की आड में विभाग के अफसरों ने प्रोपर्टी डीलरों से मिलकर बहुत घोटाले किए है। यह लोग भू माफिया के साथ मिलकर इस प्रकार के हुडा सैक्टरों के प्लाटों पर नजर रखते थे और जब भी मौका मिला इन प्लाटों को मोटी रिश्वत लेकर अलाट कर देते थे। कागजों में यह प्लाट अलाटी को ही अलाट होता था लेकिन इससे पहले प्रोपर्टी डीलर उस प्लाट के मालिक से GPA ले लेते थे। अलाटी की तरफ से प्रोपर्टी डीलर ही हुडा महकमें में अप्लीकेशन लगाता था और उन्ही का वकील अदालतों में कानुनी लडाई लडता था। हुडा विभाग के बडे बडे अधिकारी इस धन्धे में शामिल रहे। इन लोगों ने सरकार को करोडों रुपयों का चूना लगाया और अपने घरों में पैसों का ढेर लगा लिया। गुरुग्राम हुडा सैक्टर में एक Plot No.833A Sector 40 गुरुग्राम के बारे में जो Oustees qouta मे अलाट हुआ की जानकारी दे रहा हूँ।

जगदीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 569/16, सिविल लाईन गुरूग्राम द्वारा दिनांक 12.07.1994 को Oustees Quota के तहत प्लाट के लिए Apply किया गया। Draw मे जगदीश गुप्ता के नाम 833A Sector 40 प्लाट निकला। (Annexure-A)

Allotment letter जारी करने के लिए HUDA विभाग ने जगदीश चन्द्र गुप्ता को बाकी सभी Co-sharers से NOC लाने के लिए पत्र क्रमांक 4805 दिनांक 05.11.1996 व 2440 दिनांक 04.06.1998 Estate Office HUDA Gurugram द्वारा लिखा गया परन्तु 26.06.1998 को जगदीश चन्द गुप्ता ने Administrator HUDA गुरुग्राम को लिखा कि दूसरे Co- sharers से NOC लाना मेरे बस की बात नहीं है। (Annexure-B)

तत्पश्चात Estate officer, Gurugram ने पत्र क्रमांक 12930 दिनांक 23.07.1998 द्वारा जगदीश चन्द्र को फिर से लिखा कि Co-Sharers से NOC लाए परन्तु जगदीश चन्द्र ऐसा कर ना पाया। अतः जगदीश चन्द्र गुप्ता को कभी भी Allotment Letter जारी नही हुआ। (Annexure-C)

करीब 17 साल बाद दिनाँक 08.04.2015 को जगदीश चन्द्र गुप्ता के वकील एस. के०एस० बेदी ने एक लिंगल नोटिस Chief Administrator Panchkula, Administrator Huda, EO, Huda Gurugram को प्लाट न० 833-A सैक्टर 40 गुडगावां में अलाट करवाने बारे भेजा गया, जो कि केवल मात्र विभाग पर प्रेशर बनाने के लिखा गया। इस Legal Notice के सन्दर्भ में Chief Administrator Panchkual ने Administrator Huda Gurgaon, EO, Huda Gurugram को अपने पत्र क्रमांक 11308-09 दिनांक 17.06.2015 अनुसार लिखा कि Legal Notice बारे इमीडेट एक्शन लेवे व उसका जबाब वकील एस. के. एस बेदी को देकर इस कार्यालय को भी सूचित करने बारे निर्देश दिये हुये है। (Annexure-D)

दिनाकं 07.09.2015 को एक प्रार्थना पत्र सुभाष रानी जो जगदीश की पत्नी है ने EO-II को लिखा कि मेरा पति

जगदीश गुप्ता मर चुका है। प्लाट मेरे नाम किया जाये। संलग्न- (Annexure-E)

श्रीमति सुभाष रानी ने प्लाट अलॉटमेंट के लिए एक CWP No. 16543-2015 Punjab Haryana High Court में दायर की। दिनाँक 12.08.2015 को इस CWP मे अदालत ने इस मामले मे 03 महीने मे निर्णय लेने बारे आदेश दिए। जिसके सन्दर्भ में एक COCP No 3078 of 2015 दायर की गई जिसकी सुनवाई दिनांक 05.12.2015 को हुई ओर Notice of Motion दिनांक 05.04.2016 के लिए हुआ। इस COCP के निर्णय से पहले ही दिनाँक 31.03.2016 को Memo No.: 3299 द्वारा सुभाष रानी की अप्लीकेशन को तरूण कुमार पावरिया, HCS, Estate Officer-II, HUDA Gurugram द्वारा Speaking Order पास करते हुए खारीज कर दिया गया। (Annexure-F)

Estate officer-II, HUDA, Gurugram के Speaking order दि 31.03.2016 के विरूद्ध सुभाष रानी ने एक ओर CWP 7465-2016 सुभाष रानी उर्फ सुशीला के नाम से दायर की। जो दिनांक 25.04. 2016 को Decide हो गई। इसमे भी हाई कोर्ट ने इस मामले मे 3 महिने के अन्दर निर्णय लेने बारे निर्देश जारी किए। (Annexure-G)

सुभाष रानी ने CWP 7465 of 2016 मे 25.04.2016 के आदेश की अवमानना के विरूद्ध एक COCP No. 1954 of 2016 दायर की। जो कि 12.08.2016 को हाई कोर्ट ने HUDA द्वारा समय पर जवाब ना दिए जाने की एवज में रूपये 10,000 की कोस्ट लगा दी। जिसपर EO-II ने CA, Panchkula को दिनांक 25.03.2017 को लिखा कि मेटर को तुरन्त Consider किया जाये। (Annexure-H)

दिनांक 13.04.2017 को मीमो न0 5417 से CWP No. 7465 of 2016 व COCP no. 1954 of 2016 के संबंध मे श्री यशपाल यादव Administrator HUDA, Gurugram ने स्पीकिंग ऑर्डर के अनुसार अलाटी के क्लेम को खारीज कर दिया। श्री यशपाल यादव Administrator, HUDA, Gurugram द्वारा इस मामले मे एक detailed order पास किया। अपने इस Speaking order मे उन्होने (1) Balwant Singh V/S State of Haryana. (II) Bhagwan Singh V/S State of Haryana (III) Sandeep V/S HUDA other (Supra) इन तीनों judgement को Consider करते हुए लिखा: The net effect of these directions is that plots to the oustees can be allotted only after determining the quota for the oustees within the maximum permissible 50% reservation and advertisement is issued. It is not out of place to state that the application was made by the present petitioner prior to the judgement dated 25.04.2012 in Sandeep's case. To implement the aforesald direction regarding reservation, instruction dated 04.12.2015 has been issued by HUDA providing for reservation for oustees. The reservation has been determined as 12% for plots of size of 8 marls and above and 10% for plots of size of less than 8 marla. It is not out of place to state here that the HUDA has issued guidelines dated 11.08.2016 in compliance to the orders passed in Bhagwan Singh and Sandeep's case, for settlement of oustees claims, which will now govern the allotment of plot to oustees. These guidelines have also been hosted on the website of HUDA. Condition No. 15 of these guidelines is as under. An oustee who has made an application for allotment of plot under oustees policy on any previous occasion and said application either is pending for decision or was rejected. on any ground and said rejection order was impugned before any court of law or Authority or forum of any nature and matter has been remanded back to the Authority for fresh decision, shall be informed of the decision in Bhagwan Singh's case and Sandeep's case and may be advised to apply for allotment of plot in fresh advertisement which will be issued after determination of reservation and their earnest money may be refunded along with interest @ 5.5% per annum from date of deposit till date of payment. However, where litigation is pending then the court of law or authority or forum where it is pending may be informed of the aforesaid decision and efforts may be made to get the litigation disposed off in terms specified herein.." उपरोक्त टिप्पणी के साथ ही उनके द्वारा एक detailed speaking order pass करते हुए सुभाष रानी के कलेम को खारीज कर दिया। (Annexure-1)

उपरोक्त Speaking order मे यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री यशपाल ने उपरोक्त तीनों Land mark cases के बाद जारी HUDA की detailed guidelines दिनांक 11.08.2016 के condition No. 15 का हवाला दिया है जो कि इस मामले मे applicable है। condition No. 15 मे साफ तौर पर लिखा है कि oustees quota के अंतर्गत प्लाट लेने के लिए future मे advertisement जारी होने के बाद fresh apply करना होगा।

साथ ही उन्होने अपने Speaking order के Para No. 9 मे सुभाष रानी के Entitlement पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया क्योकि जगदीश चन्द्र गुप्ता की मृत्यु के बाद उसका प्लाट पर कानूनी अधिकार खत्म हो चुका था।

13.04.2017 को HUDA Administrator द्वारा Speaking order करने के बाद, HUDA ने कोर्ट मे जवाब दाखिल किया तथा अलाटी का इस प्लाट के लिए कलेम खारिज किया।

Punjab Haryana High Court में इस प्लाट के बारे में जो पैटीशन सुभाष रानी ने दायर की थी उनमें CWP 16543 वर्ष 2015, 3078 of 2015, COCP 1954 of 2016, CWP 7465 of 2016 CM No. 5149-Cll of 2018 के सम्बन्ध में पारीत किए गए किसी आदेश में प्लाट अलाटी को प्लाट अलाटमैन्ट के लिए Eligible नहीं माना गया। CM No. 5149-CII of 2018 COCP No. 1954 of 2016 के सम्बन्ध में दिनाँक 05.07.2018 को पारीत किए गए निर्णय में अदालत द्वारा पेटीशनर के कलेम को साफ खारिज कर दियाः-"...Learned senior counsel for the petitioner states that the claim has not been considered in the right perspective and in fact, it is non-compliance of the order passed by this court in CWP No. 7465 of 2016. this aspect, as has been projected by learned senior counsel for the petitioner, cannot be gone into in the content petition as in the opinion of the Court, the directions which was issued by this court was limited to the consideration of the claim of the petitioner on submission of a fresh comprehensive application for allotment of a plot after giving all the facts on records..." अतः हर बार HUDA विभाग की अदालत में जीत हुई। (Annexure-J)

श्री यशपाल द्वारा 13.04.2017 को जारी Speaking order के बाद विवेक कालिया, HCS, EO-II, HUDA, Gurugram ने एक पत्र क्रमांक 245-46 dated 11.01.2018, CA HSVP Administrator HUDA को लिखा जिसमे उन्होने Administrator HUDA CA HSVP को इस मामले में लिए गए decision तथा HUDA द्वारा इस मामले मे अदालत में लिए गए stand के विरूद्ध जान बूझकर गलत मंशा से अलाटी के हक मे तथ्य तोड मरोड कर लिखे। जिस पर CA HUDA द्वारा Memo No. DA/ADA(M)/2018 30945 दिनांक 16.02.2018 के तहत उनकी नियत पर सवाल उठाते हुए उनका स्पष्टीकरण माँगा गया। (Annexure-K)

CWP 10348 of 2018 मे HUDA विभाग द्वारा जवाब दाखिल किया गया जिसमे उन्होने जगदीश चन्द्र गुप्ता के क्लेम को खारिज कर दिया। साथ ही HUDA ने Sandeep Vs HUDA ors के केस मे जारी आदेश का भी वर्णन कियाः "6(iv)... The plots to the oustees shall be allotted only by public advertisement and not on basis of any application submitted by an oustee. 6(vi) The state Government or the acquiring authority shall not advertise any residential plot for sale without conducting an exercise in respect of plots earmarked for reserved categories and after identification of the plots avallable for the oustees in each sector. Thereafter the State Govt. or the acquiring authority shall publish an advertisement inviting application form such oustees to apply for allotment of plots in accordance with law...." साथ ही इस जवाब में अलाटी को दिनांक 04.09.2018 को जारी advertisement मे fresh apply करने बारे हिदायत दी गई। (Annexure-L)

इस प्लाट के सम्बन्ध में दिनांक 24.05.2019 को नितिन हुडा सुपरीडेन्ट अर्बन ब्रान्च पंचकूला द्वारा जारी पत्र मीमो न0 93413 मे प्लाट न० 833ए सैक्टर 40 को सीधे तौर पर अलाटमेन्ट पत्र जारी करने के आदेश जारी कर दिये। उनके द्वारा अपने पत्र में लिखा गया कि

"The matter has been considered and examined. It has been decided that after the decision of Bhagwan Singh's case in CWP No. 10941 of 2010 and upheld as such by Hon'ble Supreme Court to the effect that an Oustee is entitled for the allotment of a plot in his individual name according to his share in the land holding, the requirement of submitting of NOC by the applicant is no longer required. The matter is pending in Hon'ble High Court since 2015 and this is third round of litigation You are hereby directed to issue allotment letter of plot No. 833A, Sector 40, Gurugram in the name of the petitioner to reduce the litigation as Hon'ble High Court is not at all likely to accept the contention of HSVP." (Annexure-M)

इस पत्र में जारी निर्देश के लिए दिनांक 15.05.2019 को श्री डी० सुरेश चैयरमेन की अध्यक्षता में DLC द्वारा लिए गए निर्णय को आधार बनाया गया है। इस कमेटी मेंश्री अनिल अग्रवाल डी०ए०, श्री गिरीश अरोडा IAS व डी० सुरेश CA HUDA के हस्ताक्षरो से आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कमेटी द्वारा श्री यशपाल IAS Administrator HSVP Gurugram द्वारा दिनाँक 13.04.2017 को किए गए Speaking Order बारे कोई जिक्र नहीं किया गया। इस आदेश मे जानबूझकर दिनांक 11.08.2016 की HUDA की guidelines तथा राजीव मनचंदा Vs HUDA के 22.11.2017 के full bench आदेश के बाद 08.05.2018 को जारी HUDA की Latest guidelines को छुपा लिया गया क्योकि इन guidelines के अनुसार अलाटी को future advertisement मे afresh apply करना था। अतः guidelines को दर किनार करते हुए, तथा इस बात को भी दर किनार किया गया कि High Court मे HUDA इस केस में लगातार जीतता आ रहा था, फिर भी अलाटी को प्लाट अलॉट किया गया। यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि DLC के आदेशो मे EO-II विवेक कालिया HCS के 11.01. 2018 के उस पत्र का हवाला लिया गया। जिस पर तत्कालीन CA HSVP ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि

उन्होने Administrator व CA HSVP के decision के विरूद्ध ये पत्र कैसे लिखा। साथ ही Sandeep Singh Vs HUDA, case को जान-बूझकर गलत interpret करते हुए, अलाटी को Undue Benefit दिया क्योकि इस केस के बाद जारी guidelines की condition No. 15 का पूर्ण हवाला श्री यशपाल ने अपने Speaking order मे ले लिया था जिसके अनुसार अलाटी केवल future advertisement मे afresh apply कर सकता था। (Annexure-N)

साथ ही DLC के इस आदेश मे COCP 1954 of 2016 के 23.05.2017 के होई कोर्ट के आदेश का Misuse किया गया, जबकि इस मामले मे HUDA पहले ही अपना जवाब दे चुका था कि अलाटी प्लाट का हकदार नही है तथा इस COCP मे हाई कोर्ट द्वारा 05.07.2018 को पारित अंतिम आदेशो मे हाई कोर्ट ने Petitioner की अपील खारिज कर दी थी अतः इस केस मे HUDA की अंततः जीत हुई थी। (Annexure-J)

साथ ही प्रार्थी मात्र 200 Sq.M के लिए eligible परन्तु उसे 220 Sq.M का प्लाट दिया गया। EO-II, Gurugram की नोटिंग दिनांक 12.07.2019 मे भी यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि एलाटी द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत की राशि विभाग मे जमा नही करवाई गई। (Annexure-O)

नितिन हुड्डा ने Memo No. A-I/UB 2019 170548 dated 17.09.2019 से EO-III से Allotment Letter जारी करने की action taken report माँगी। यह Letter उसने अपनी Capacity मे ही लिया। (Annexure-P)

जैसे ही उपरोक्त सुभाष रानी के नाम allotment letter जारी हुआ उन्होने फटाफट उस प्लाट को Transfer करते हुए नितिन बंसल को बेच दिया क्योकि उन्हें पता था कि उन्होने यह प्लाट एक षडयन्त्र के तहत रिश्वत देकर लिया है तथा शिकायत पर उनका प्लाट cancel हो सकता है। (Annexure-Q)

अतः DLC के अधिकारियों ने जान बूझकर, रिश्वत लेकर HUDA की Guidelines, Policy व कानून को धता बताते हुए, गैर कानूनी आदेश जारी किए जिससे सरकार को हानि हुई। यह प्लाट पुराने रेट पर ही अलाट कर दिया गया जिससे HUDA को करोडों रूपये की हानि हुई। अगर यह प्लाट निलामी करके अलाट किया जाता तो सरकार के खजाने में लगभग 4 करोड की राशि जमा होती। उपरोक्त अलाटी ने हुड डा विभाग के अधिकारी श्री सुरेश, IAS (CA HUDA), अनिल अग्रवाल डी०ए०, गिरीश अरोडा IAS (HUDA), विवेक कालिया, HCS, नितिन हुडा सुपरीडेन्ट अर्बन ब्रान्च पंचकूला व अन्य कर्मचारियो से मिली भगत करके अपने आपको वितिय फायदा पहुंचाँया है तथा हरियाणा सरकार को करोडों रुपये की वितिय हानि पहुंचाई है। यह प्लाट उपरोक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर प्रार्थी को पुराने रेट पर Re-allot किया गया था। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जावे। सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मातादीन, गावें कन्हई तन्व जिला गुरुग्राम मोबाईल न० 8377838585

शिकायत संख्या 262 दिनांक 14-06-2024 शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मातादीन यात्री कन्हई तहसील जिला गुरुग्राम कार्यवाही हेतु निरीक्षक राजकरण थाना राज्य सतर्कात एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम को प्राप्त हुई। शिकायत में कोई जांच अमल में नहीं लाई गई परन्तु शिकायत के साथ लगे दस्तावेजों का निरीक्षक राजकरण द्वारा अवलोकन किया गया। जो दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पाया गया है कि सुभाष रानी उर्फ सुशीला पत्नी जगदीश गुप्ता सिविल लाईन गुरुग्राम द्वारा हुडा विभाग के अधिकारियो से मिलीभगत करके गलत तरीके से षडयन्त्र करके Oustees Qouta से यह प्लाट अलाट करवाया तथा हुडा विभाग के अधिकारिय ने अवपने पद का दुरूपयो करके हुडा/ HSVP विभाग के नियमो की उलधन्ना करते हुऐ गलत तरीके से उक्त प्लाट अलोट किया जिससे सरकार को करोडो रूपयो की हानि हुई और सुभाष रानी उर्फ शुशीला को अनुचित लाभ पहुंचाया। जो शिकायत व दस्तावेजो के अवलोकन से आरोपिया सुभाष रानी उर्फ सुशिला पत्नी स्वर्गीय जगदीश गुप्ता वासी सिविल लाईन गुरुग्राम, श्री डी० सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, श्री विवेक कालिया, HCS, तत्कालिन EO-1। हुडा विभाग गुरूग्राम श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual व अनिल कुमार अग्रवाल तत्कालीन DA HSVP Panchkula द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 147,218, 409, 420, 120बी IPC 7, 13 PC Act का अपराध करना पाया जाने पर श्री डी० सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, श्री विवेक कालिया HCS, तत्कालिन ६-॥ हुडा विभाग गुरुग्राम, श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual अनिल कुमार DA HSVP Panchkula के खिलाफ धारा 17ए भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रमिशन सक्षम अधिकारियो से मांगी गई और अभियोग अंकित करके अनुसंधान करने की सिफारिश की गई तथा अन्य आरोपियों की संलिप्ता की जांच FIR दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान देख ली जाने की अनुशंसा की गई।

पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम के कार्यालय के पत्र क्रमांक 2995/ACB/GGM दिनांक 21-06-2024 के अनुसार 17-A PC Act की अनुमित के लिए पत्र भेजा गया था। जो Chief Secretary Office Vigilance 1-VII क्रमांक 10/44-/2024 दिनांक 23-07-2026 तथा पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 14749 /Secret /SVACB(H) दिनांक 27-07-2026 के अनुसार श्री डी0 सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, व श्री अनिल कुमार DA HSVP Panchkula की 17A- PC Act की अनमुति प्राप्त हो चुकी है। इसलिए पृथम दृष्या हुडा विभाग के प्लाट नम्बर 833A सैक्टर 40 गुरूग्राम को गलत तरीके से एक षडयन्त्र के तहत हुडा/ HSVP विभाग के अधिकारी जिन्होने पर अपने का दुरूपयोग किया एंव सरकार को करोडो रूपयो की हानि पहुंचाई तथा सुभाष रानी उर्श सुशीला जिसने अनुचित लाभ प्राप्त किया तथा गलत तरीके से प्लाट अलाट करवाया और फिर आगे बेचना पाया जाने पर धारा 147,218, 409, 420, 120बी IPC 7, 13 PC Act का अपराध करना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ड्राफ्ट FIR तहरीर बर खिलाफ सुभाष रानी उर्फ सुशीला पत्नी जगदीश गुप्ता सिविल लाईन गुरुग्राम, श्री डी सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, व अनिल कुमार अग्रवाल तत्कालीन DA HSVP Panchkula के खिलाफ तैयार करके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नम्बर 4266/ SVACB/GGM Dated 13-08-2026 के अनुसार भेजी गई थी। श्रीमान महानिदेशक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 16292/Secret/SVACB (H) Dated 18-08-2026-के अनुसार तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन उप पुलिस अधीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्क की है आज मै हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हूँ । सुभाष रानी उर्फ सुशीला पत्नी जगदीश गुप्ता सिविल लाईन गुरुग्राम, श्री डी० सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, व अनिल कुमार अग्रवाल तत्कालीन DA HSVP Panchkula के विरूद्ध धारा धारा 147,218, 409, 420, 120बी IPC 7, 13 PC Act के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने हेतु तहरीर तैयार करके EHC प्रदीप कुमार नम्बर 951/FBD के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जायें। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियामानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जायें। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु भारतेन्द्र कुमार, ह०पु०से०, उप पुलिस अधीक्षक के पास भिजवाई जायें। sd (अर्जुन राठी, ह०पु० से०) उप पुलिस अधीक्षक, रा० स० एंव भ्र० नि० ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम दिनांक 26-08-2026 AT- 07.30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले EHC प्रदीप कुमार नम्बर 951/FBD के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP भारतेन्द्र कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registere.. the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BHARTENDRA KUMAR **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

POLICE STATION S.V. & A.C.B. ... Gurugram Range ...

No. (सं.): DSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Ashok Kumar
Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~omparkash~~ Ashok Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): ~~12sr~~ 749/GGM

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1981				Is pox pitted: Yes
2	Male	1981				Is pox pitted: Yes
3	Male	1981				Is pox pitted: Yes

POLICE STATION S.V. & A.C. ... राज्य सतर्कता ... ब्यूरो (ह) गुरुग्राम ... Range Gurugram